कार्यालय, नगर पंचायत परसा बाजार, सारण।

पत्रांकः— 912

SO-3
6.11.18

प्रेषक,

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, परसा बाजार।

सेवा में,

सहायक निदेशक—सह— संयुक्त सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना।

दिनांकः— 01.11.18

6/XI/18

विषयः— **नगर पंचायत परसा बाजार के अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0 666/2017—18 का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित साक्ष्य सहित उपलब्ध कराने के संबंध में।**

प्रसंगः— **भवदीय पत्रांक—2116, दिनांक—13.09.2018।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा विषयांकित अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित साक्ष्य सहित इस कार्यालय के पत्रांक—773 दिनांक—08.08.2018 एवं पत्रांक—846 दिनांक—19.09.2018 द्वारा विभाग को मेल पर भेज दी गई है, तथा वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी रा0 स्था0 नि0/सामाजिक प्रक्षेत्र—1 स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा पटना को भी भेज दी गई है। तथा पुनः भेजा जा रहा है। (छाया प्रति संलग्न)

अतः इसकी प्राप्ति स्वीकार की जाए।

अनुलग्नक—यथोक्त।

विश्वास भाजन,

01.11.18

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, परसा बाजार।

कार्यालय, नगर पंचायत, परसा बाजार, सारण

पत्रांक– 737

प्रेषक,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, परसा बाजार।

सेवा में,

वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी,
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा, पटना।

दिनांक– 08/08

विषयः– **अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या–666 / 2017–18 का अनुपालन प्रतिवेदन साक्ष्य सहित उपलब्ध कराने के संबंध में।**

प्रसंगः– सरकार के विशेष सचिव के पत्रांक–205 / न0वि0एवंआ0बि0 पटना, दिनांक–02.02. 2018।

महाशय,

उपर्युक्त प्रसांगिक पत्र के आलोक में सादर सूचित करना है कि अंकेक्षण प्रतिवेदन भाग–ii (ख) के कंडिका 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, एवं टिप्पणी 1,2,3, का बिन्दुवार साक्ष्य सहित जबाब तैयार कर भेजा जा रहा है।

विश्वासभाजन

08-08-18

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, परसा बाजार, सारण।

8.8.18

कार्यालय, नगर पंचायत, परसा बाजार, सारण।

अंकेक्षण प्रतिवेदन भाग– II

कंडिका	प्रश्न	प्रश्नोत्तर
कंडिका–1	विविध रसीदों द्वारा संग्रहित राशि रू0 13550/– जो कर संग्राहकों द्वारा वसूली कर उसे कार्यालय कोष में जमा नही किया गया। अतः रू. 13550/– संबंधित कर संग्रहकर्त्ता से वसूल कर कोषागार में जमा कर उसका साक्ष्य प्रस्तुत कराया जाय।	संबंधित कर कार्यालय के राजस्व खाता में जमा कर दी ग[illegible] (छायाप्रति संलग्न) पेज–1
कंडिका–2	मोबाईल टावर कर की वसूली हेतु टावर कम्पनियों पर की गई कार्रवाई का साक्ष्य तथा रूपया 1810770/– की वसूली की गई राशि से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत कराया जाय।	मोबाईला टावर की वसूली हेतु मोबाईल कम्पनियों को [illegible] गई है। (छायाप्रति संलग्न) पेज– 2 से 11
कंडिका–3 i	योजना कार्य में विलम्ब शुल्क संवेदक से वसूल कर राशि रू 17071/– सरकारी खातों में जमा कर उसका साक्ष्य प्रस्तुत कराया जाय।	योजना कार्य में विलम्ब शुल्क की राशि जमा करने हेतु संवेदक [illegible] नोटिस भेजी गई है। राशि प्राप्त होते हीं सरकारी खाते में जमा [illegible] साक्ष्य प्रस्तुत करा दी जाएगी। (नोटिस का छायाप्रति संलग्न) पेज–12-14
ii	योजना कार्य से संबंधित कार्य स्थल की फोटोग्राफी/विडियोग्राफी का साक्ष्य प्रस्तुत कराया जाय।	संवेदक को योजना कार्य से संबंधित कार्यस्थल की फोटोग्राफी/विडियोग्राफी जमा करने हेतु नोटिस भेजी ग[illegible] फोटोग्राफी प्राप्त होते हीं साक्ष्य प्रस्तुत करा दी जाएगी। (नोटिस का छायाप्रति संलग्न)
iii	कार्य के गुणवत्ता एवं निर्माण सामग्रियों की गुणवत्ता से संबंधित प्रमाण–पत्र का साक्ष्य संवेदक से प्राप्त कर प्रस्तुत कराया जाय।	संवेदक को कार्य का गुवत्ता प्रमाण–पत्र जमा करने हेतु [illegible] गई है। गुणवत्ता प्रमाण–पत्र प्राप्त होतु हीं लक्ष्य प्रस्तुत [illegible] जाएगी। (छायाप्रति संलग्न)
iv	संवेदक से संबंधित मदों की काटी गई राशि रूपया 20808/– संबंधित विभागों में जमा करने का साक्ष्य प्रस्तुत कराया जाय।	कटौती की गई राशि जमा कर दी गई है। (छायाप्रति संलग्न)
कंडिका–4	निधियों का अवरोधन रूपया 2108269/– अनुदान राशि का व्यय तय समय सीमा के अन्दर करना है। योजनाओं /मदों की विगत कई वर्षो से बची हुई राशि रूपया 2108269/– संस्वीकृति प्राधिकारों को वापस कर उसका साक्ष्य प्रस्तुत कराया जाय।	रोकड़बही के अनुसार बची अवशेष राशि संबंधित मद में जमा कर [illegible] गई है। (छायाप्रति संलग्न) पेज–15-17
कंडिका–5 i	परिमान विपत्र से 15 प्रतिशत कम दर पर निविदा मान्य नही किया जाना था तो किस कारण से निविदा को सफल घोषित किया गया, उकस साक्ष्य प्रस्तुत कराया जाय।	निविदा का कार्य BOQ दर पर हीं हुआ है। 15% कम दर [illegible] संवेदकों के द्वारा आवेदन देकर 15% कम दर पर कार्य [illegible] असमर्थ होने का आवेदन दिया गया था। अतः कार्य BOQ दर पर हीं किया गया है। (आवेदक का छायाप्रति संलग्न) पेज–18-23
ii	किये गये एकरारनामा पर कार्यपालक पदाधिकारी का हस्ताक्षर का साक्ष्य प्रस्तुत कराया जाय।	उस समय के तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी का तबादला [illegible] जाने के कारण एकरारनामा पर हस्ताक्षर नही हो पाया है। उक्त योजना पर एकरारनामा करा कर साक्ष्य प्रस्तुत कर दी जाएगी।
iii	संवेदक को बीस मजदूर को हीं नियोजित करना था तो दो दिन में किस स्थिति में पूर्ण कर दिया गया था। संवेदक से मजदूरी भुगतान विपत्र का साक्ष्य एवं कार्य की गुणवत्ता की जाँच का साक्ष्य प्रस्तुत कराया जाय।	संवेदक से मजदूरी भुगतान विपत्र एवं गुणवत्ता कि जाँच के साक्ष्य हेतु नोटिस भेजी गई है। संवेदक के द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने के उपरान्त प्रस्तुत करा दिया जाएगा।

06-08-18

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत परसा बाजार, सारण
6/8/18

iv	योजना कार्य से संबंधित कार्य स्थल की फोटोग्राफी/विडियोग्राफी का साक्ष्य प्रस्तुत कराया जाय।	संबंधित योजना स्थल की फोटोग्राफी/विडियोग्राफी हेतु संवेदक को नोटिस करा दी गई है। संवेदक के द्वारा साक्ष्य देने के उपरान्त प्रस्तुत करा दी जाएगी।
v	कार्य के गुणवत्ता एवं निर्माण सामग्रियों की गुणवत्ता से संबंधित प्रमाण–पत्र का साक्ष्य संवेदक से प्राप्त कर प्रस्तुत कराया जाय।	योजना से संबंधित गुणवत्ता प्रमाण–पत्र संवेदक द्वारा जमा कर दी गई है। (छायाप्रति संलग्न)
vi	संवेदक से राजस्व मद की काटी गई राशि रूपया 19886/– संबंधित विभागों में जमा करने का साक्ष्य प्रस्तुत कराया जाय।	संवेदक से राजस्व मद में काटी गई राशि संबंधित मद में जमा कर दी गई है। (छायाप्रति संलग्न)
कंडिका–6 i	योजना कार्य में विलम्ब शुल्क संवेदक से वसूल कर राशि रू 18069/– सरकारी खातों में जमा कर उसका साक्ष्य प्रस्तुत कराया जाय।	संवेदक को विलम्ब शुल्क जमा करने हेतु नोटिस भेजी गई अगर किसी कारण नही जमा कर पाते हैं तो उनके सूरक्षित जमा की राशि से काट ली जाएगी। (नोटिस की छायाप्रति संलग्न) पेज- 24से31
ii	अनुज्ञप्ति पत्र की वैधता निविदा खोलने की तिथि समाप्त होने के बाद कार्यावंटन की स्थिति का साक्ष्य प्रस्तुत कराया जाय।	
iii	संवेदक के विपत्र से राजस्व मद की काटी गई राशि रूपया 59707/– संबंधित विभागों में जमा करने का साक्ष्य प्रस्तुत कराया जाय।	संवेदक से राजस्व मद में काटी गई राशि संबंधित विभागों में जमा करा दी गई है। (छायाप्रति संलग्न)
कंडिका–7 vi	आपूर्तिकर्ता से वैट राशि (5प्रतिशत) रूपया 58754/– का वसूली कर संबंधित सरकारी खाते में जमा कर उसका साक्ष्य प्रस्तुत कराया जाय।	आपूर्तिकर्ता से वैट की कटौती की गई राशि संबंधित विभागों में जमा कर दी गई है। (छायाप्रति संलग्न) पेज- 32से33
कंडिका–8 ख	आपूर्तिकर्ता से फार्म सी0 II प्रमाण पत्र प्राप्त कर उसका साक्ष्य में प्रस्तुत कराया जाय या अधिक भुगतान राशि रूप्या 26429/– आपूर्तिकर्ता से वसूल कर सरकारी खाते में जमा कर उसका साक्ष्य प्रस्तुत कराया जाय।	आपूर्तिकर्ता से वैट फार्म सी0 जमा करने का साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु नोटिस भेजा गया है। (छायाप्रति संलग्न) पेज- 34
कंडिका–9	डिमांड ड्राफ्ट की कुल राशि रूपया 135000/– संबंधित सभी संवेदकों से वसूल कर नगर पंचायत, के खाता में जमा कर उसका साक्ष्य प्रस्तुत किया जाय।	संबंधित सभी संवेदक के द्वारा जमा डिमांड ड्राफ्ट संवेदकों को वापस लौटा दी जानी है। जिसमें कुछ संवेदकों को डिमांड ड्राफ्ट लौटा दी गई। (छायाप्रति संलग्न) पेज-35-36
कंडिका–10	वैट रॉयलिटी एवं श्रम शेष मद में कटौती की गई कुल राशि रूपया 5170013/– सरकार से संबंधित खाते में जमा कर उसका साक्ष्य प्रस्तुत कराया जाय।	कटौती की गई राशि संबंधित मदों में जमा करा दी गई है। (छायाप्रति संलग्न) पेज- 37 से 149
कंडिका–11	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के रोकड़ बही एवं बैंक पासबुक अंतशेष में रूपया 2835856/– के संबंध में वर्ष 2014–15 वर्ष 2016–17 तक का समापन विवरणी तैयार कर एवं पी0एल0 खाता में जमा राशि का विवरण प्राप्त कर साक्ष्य में प्रस्तुत कराया जाय अन्यथा उक्त राशि का विवरण बैंक सामाधान विवरणी में नही रहने पर गबन की संभावना होगी। एंसी परिस्थिति में उच्च स्तरिय जॉच कर कार्रवाई का साक्ष्य प्रस्तुत कराया जाए।	रोकड़ बही एवं बैंक पासबुक का मिलान कर समापन विवरण बना लिया गया है। (छायाप्रति संलग्न) पेज-150-153
टिप्पणी–1 क	13वे वित्त आयोग के मद की सहायक रोकडबही में बैंक खाते में ब्याज से प्राप्त कुल रूपया 740240/– की प्रविष्टि कर एवं पदाधिकारी से सत्यापन करा कर उसका साक्ष्य प्रस्तुत कराया जाए।	13वीं वित्त आयोग मद की सहायक रोकड़बही में बैंक खाते में ब्याज से प्राप्त राशि प्रविष्ट कर ली गई है। (छायाप्रति संलग्न) पेज- 154से 160

6-8-18

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत परसा बाजार, सारण

ख	सामान्य रोकड़बही एवं सहायक रोकड़बही तथा बैंक खाता का सामाधान विवरणी तैयार कर साक्ष्य में प्रस्तुत कराया जाए।	सामान्य रोकड़बही एवं सहायक रोकड़बही तथा बैंक खाता का समाधान विवरणी तैयार कर ली गई है। (छायाप्रति संलग्न)
ग	**ई–गवर्नेन्स मद के सहायक रोकड़बही का संधारण कर एवं ब्याज राशि की प्रविष्टि कर उसका साक्ष्य प्रस्तुत कराया जाए।**	ई–गवर्नेन्स मद के सहायक रोकड़बही का संधारण कर लिया गया है। (छायाप्रति संलग्न) पेज-160
टिप्पणी–2	वार्षिक लेखाओं का संधारण कर उसका साक्ष्य प्रस्तुत कराया जाय।	वार्षिक लेखाओं का संधारण कर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत कराया जाएगी। पेज-161
टिप्पणी–3	अनुदान पंजी का संधारण कर वर्ष–2014–15 से अधतन की राशि के आय एवं व्यय का संधारण का साक्ष्य प्रस्तुत कराया जाय।	अनुदान पंजी की संधारण कर ली गई है। (छायाप्रति संलग्न) पेज-162-से 171

06-08-18

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत परसा बाजार, सारण

6/8/18